छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 474 /निस/स/2020, रायपुर, दिनांक 05/05/2020

प्रति,

सचिव,
छ0ग0 शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
नवा रायपुर,

विषय :– **शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले क्वारेंटाईन सेंटर एवं मजदूर के कैम्प के लिये दिशा–निर्देशिका ।**

––00––

विषयांतर्गत राज्य में कोरोना वायरस के महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान व उपचार किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्रों में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारेंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्पों में रखा जाना है ।

2/ क्वारेंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्प में रखे गये व्यक्तियों के संबंध में विभाग द्वारा दिशा–निर्देशिका तैयार की गई है, जो संलग्न है। कृपया इसका पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(निहारिका बारिक सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभा

पृ0क्रमांक 475 /निस/स/2020 रायपुर, दिनांक 05/5/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर,
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सा शिक्षा/महामारी नियंत्रण/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रायपुर,
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,छ0ग0,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5/5/2020

शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले क्वारेंटाइन सेंटर एंव मजदूर के कैम्प के लिये दिशा–निर्देशिका।

A. क्वारेंटाइन सेंटर एवं मजदूर कैम्प

1. अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों के प्रत्येक समूह को एक बंद परिसर में अलग–अलग खंडो में रखे जाने की व्यवस्था कर, उनकी सतत निगरानी किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि कैम्प में सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमो का पालन किया जाये।
2. इन व्यक्तियों के स्नान एवं शौचालय के लिये पृथक से उचित व्यवस्था किया जाये। संभव हो तो बायो डिग्रेडिबल शौचालय का इस्तेमाल किया जायें।
3. यह सुनिश्चित किया जाये कि यह किसी भी स्थिति में खुले स्थान पर शौच ना करें। शौचालय का ही प्रयोग करें।
4. किसी भी अवस्था में उनके द्वारा निस्तारी हेतु तालाब एवं अन्य सार्वजनिक जल स्त्रोतों का उपयोग से वर्जित रखा जाये। नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जाये।
5. इनके भोजन की व्यवस्था करते समय दो गज की दूरी रखते हुये सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों का पालन किया जाये।
6. इनको भोजन एवं पानी डिस्पोजेबल पत्तल/गिलास में उपलब्ध कराया जाये। उपयोग के पश्चात इन सामाग्रियों को डिप–बरियल की विधि से निस्पादन किया जावे।
7. इनको 14 दिनों तक किसी भी प्रकार के कैम्पस से बाहर जाने न दिया जावे या अन्य शहरी क्षेत्र के लोगों से मिलने से वंचित रखा जाये।
8. कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक/सार्वजनिक गतिविधियां संचालित न की जाये।
9. क्वारेन्टाईन सेन्टर/मजदूर कैम्प पर भोजन हेतु अलग हेडओवर जोन का चिन्हाकन किया जावें एवं सीधे व्यक्तियों के हाथ में भोजन एवं पानी प्रदान न किया जावें।
10. इन क्वारेंटाइन सेंटर में सेवा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दी जावे कि यह संदिग्ध व्यक्ति है तथा संक्रमित हो सकते है। इसलिए अनावश्यक न मिले एवं विशेष पर्याप्त सावधानी का ध्यान रखें।
11. वाहनों के ड्राईवर एवं सहायक/खलासी को mask/face cover and Gloves पहनना अनिवार्य होगा।
12. क्वारेंटाइन सेंटर एवं मजदूर कैम्प हेडओवर जोन में ही गाड़ियों का प्रवेश दिया जावें। खाद्य सामाग्री या अन्य सामाग्री को खाली करने हेतु क्वारेंटाईन सेंटर/मजदूर कैम्प में उपस्थित मजदूरों से काम न लिया जावें।
13. हैन्डओवर जोन से गाड़ियों के जाने के पश्चात् ही खाद्य सामाग्री को लेने हेतु मजदूरों को हैन्डओवर जोन में जाने की अनुमति देनी चाहिए।

14. इनमें से किसी भी व्यक्ति को सर्दी/खांसी, बुखार या श्वांस लेने मे तकलीफ होने की अवस्था में तथा कोविड–19 के संभावित लक्षण होने पर, तत्काल सूचना क्वारेटाईन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया जावेगा। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर, तत्काल निकटस्थ आईसोलेशन सेंटर में भेजा जाये।

15. दायित्व का निर्धारण – इन कैम्पों में क्वारेन्टीन स्थापित करने एवं संचालित करने का दायित्व नगरनिगम/नगर पालिका/नगर पंचाचत का होगा।

16. कम्युनिटी सर्वेलेंस का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आवश्यकतानुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य शिक्षको द्वारा किया जायेगा।

17. नगरीय निकाय के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा। उपरोक्त निर्देशों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय राजस्व अधिकारी/जोन कमिश्नर की होगी।

18. इन कैम्पों में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी को अपनी सुरक्षा हेतु दूरी बनाये रखने, मास्क अनिवार्य रूप से पहनने एवं अन्य समस्त आवश्यक उपायों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जाये।

19. किसी व्यक्ति का सैम्पल टेस्टींग हेतु भेजे जाने की अवस्था में उक्त व्यक्ति को जांच रिपोर्ट आने तक डिस्चार्ज न किया जावें।

20. क्वारेन्टाईन सेन्टर/मजदूर कैम्प हेतु मास्क एवं सैनिटाईजर की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जावें।

21. क्वारेन्टाईन सेन्टर/मजदूर कैम्प में प्रशिक्षित मानव संसाधन की ही ड्यूटी लगाई जायें।

<u>B. होम क्वारेन्टाईन</u>

1. अन्य राज्यों से राज्य में बाहर से शहरी क्षेत्रों में आये हुए सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 14 दिवस होम क्वारेंटाईन में रखा जावे।

2. शहरी क्षेत्रों के समस्त वार्ड एवं जोन को 50–100 हाउस होल्ड में बाटकर होम क्वारेटाईन में रखे सभी व्यक्तियों के घर में होम–क्वारेटाईन के स्टीकर चिपाकर अनिवार्य रूप से मॉनिटरिंग किया जावे।

3. समस्त वार्ड अथवा जोन में निगरानी हेतु मॉनीटर नियुक्त किया जाये।

4. बाहर से आने वाले व्यक्तियों के नाम/पता लिखा जाकर रजिस्ट्रर में दर्ज किया जाकर रजिस्ट्रर संधारित किया जावे। बाहर से आने वाले व्यक्तियों का डाटाबेस जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से साझा किया जाये। बीट प्रभारी द्वारा प्रतिदिन दो बार इसका मॉनीटर किया जावे।

5. बाहर से यदि क्लस्टर या समूह में प्रवासी आते है तो उन पर भी क्वारेटाईन के निर्देश लागू होगे।

6. यदि किसी व्यक्ति में संभावित संक्रमण के लक्षण पाये जाते है, तो संबंधित व्यक्ति को होम–क्वारेटाईन करते हुए निकट के स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाकर जॉच की सलाह दी जाये।

7. प्रत्येक नगर निगम में सेम्पल संग्रहण हेतु मोबाईल वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जावे।

8. प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में होम क्वारेटाइन सुनिश्चित करने हेतु एवं मॉनीटरिंग किये जाने हेतु नगर सैनिक/आंगनवाड़ी वर्कर का सहयोग लिया जा सकता है।

9. शहरी क्षेत्रों के समस्त वार्ड एवं जोन में यदि निरीक्षण के दौरान संभावित कोरोना के लक्षण जैसे–बुखार, सर्दी–खांसी, सांस लेने मे तकलीफ एवं अन्य लक्षण पाये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होने पर तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करते हुए अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य विभाग को सूचित करे।

10. संभावित कोरोना के लक्षण पाये जाने वाले व्यक्तियों अथवा संभावित संक्रमित व्यक्ति होने पर तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करते हुए अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य विभाग को सूचित करे। निम्नानुसार प्रपत्र में जानकारी अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रेषित किया जावेः–

क. क्वारेंटाइन सेंटर में लक्षण सहित व्यक्तियों की जानकारी :–

सेंटर में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या.............................दिनांक..........................

क्र.	जिला का नाम	लक्षणयुक्त व्यक्ति का नाम	मोबाईल नं.	किस राज्य से आये	छ.ग. राज्य में आने का दिनांक	क्वारेंटाईन कैम्प का नाम व पता	क्वारेटाईन कैम्प के नोडल अधिकारी का नाम व मोबाईल नंम्बर

ख.

क्रमांक	जिला का नाम	शहर में बाहर से आये कुल व्यक्तियों की संख्या	क्वारेटाईन सेंटर में वर्तमान में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या	जिलें में कुल क्वारेटाईन सेंटर की संख्या	राज्य के क्वारेटाईन सेंटर में बाहर से आये हुए मजदूरों की संख्या

➤ **सार्वजनिक सावधानिया :–**

1. सभी सार्वजनिक स्थानों में अनिवार्य रूप से मास्क लगाये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

2. स्वयं सेवी संस्था जैसे–एन.सी.सी. कैडेट, स्काउट गाईड, एन.एस.एस. एन.वाय.के. एवं अन्य स्वयं सेवी समूहों को प्रेरित कर चिन्हांकित सार्वजनिक स्थानों पर मास्क उपयोग किये जाने हेतु इनकी सेवाएं ली जा सकती है।

3. सार्वजनिक स्थानों के दरवाजे, लिफ्ट, सीढ़ी, या ऐसे अन्य स्थानों पर सेनेटाईज की व्यवस्था किया जावे एवं बार–बार सेनेटाईज किया जावे ।
4. समस्त सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर संक्रमण फैलने की संभावना है, ऐसे स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाया जावे एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराये जाना सुनिश्चित करे।

➢ **सार्वजनिक परिवहन के दौरान आवश्यक सावधानियां :–**

1. बसों में सभी ड्राइवर एवं सहायक को मास्क एवं फेसकवर और दस्ताने लगाना अनिवार्य है।
2. बिना मास्क के यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया जावे।
3. बोर्डिंग / सीटिंग / डीबोर्डिंग के दौरान physical distancing/social distancing अनिवार्य रूप से रखा जावें।
4. प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को disinfect करना (both times to* & fro*) अनिवार्य है।
5. यात्रा के दौरान बसों के अंदर पैसे/टिकट लेनदेन से बचें।
6. यात्रा के दौरान तंबाकू चबाने और थूकने पर प्रतिबंध अनिवार्य रूप ले लगाया जावें।
7. ऑटो / कैब्स / टैक्सी की तरह फीडर ट्रांसपोर्ट में चालक को छोड़कर अधिकतम दो यात्रियों को ले जा सकेंगे।

➢ **बाजार स्थल (सब्जी एवं फल बाजार / अन्य क्षेत्र एवं दुकानें)**

1. थोक विक्रेता / वितरक को mask/face cover and Gloves पहनना अनिवार्य होगा।
2. मालवाहक गाड़ियों के ड्राईवर एवं सहायक / खलासी को mask/face cover and Gloves पहनना अनिवार्य होगा।
3. सार्वजनिक क्षेत्र हेतु विसंक्रमण मार्गदर्शिका (Disinfection Protocol of Public Places) का पालन किया जावें।
4. किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण पाये जाने पर 104 में सूचित करते हुए, निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से संपर्क करें।
5. स्वयंसेवी कार्य – महाविद्यालयीन छात्र/NCC cadet/स्काउटगाइड को सावर्जनिक स्थानों जैसे (Markets, Banks/ATMs पर सामाजिक दुरी बनाये रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

➢ **कार्यालय स्तर पर आवश्यक सावधानियां :–**

1. कार्यालय में प्रवेश करने से पहले तापमान की जाँच करें और हाथ साफ कर लें ।
2. बाहर निकलने से पहले हाथों को भी साफ करे ।
3. कार्यालय में सामाजिक दूरी अनिवार्य रूप से बनाए ।
4. लिफ्ट का उपयोग नहीं करें यदि कर रहे है तो

- एक समय में प्रवेश करने के लिए केवल एक व्यक्ति हो ।
- लिफ्ट के अंदर सहायक नहीं होना चाहिए ।
- लिफ्ट का बटन के लिए कोहनी का उपयोग किया जाना चाहिए।

➢ **कैफेटेरिया (बंद रखें) यदि संचालित है, तो**

1. भोजन/पानी डिस्पोजल में परोसा जावे।
2. कचरे को इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों को मास्क/फेसकवर और दस्ताने अनिवार्य रूप से पहने होना चाहिए।
3. कर्मचारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे दूसरों के साथ भोजन एवं बर्तन साझा न करें साथ ही स्वयं का पानी अनिवार्य रूप से लाने हेतु कहें।

➢ **वॉशरुम**

1. वाशरुम को दिन में दो बार साफ कर ले
2. हाथ धोने हेतु साबुन अनिवार्य रूप से रखें

➢ कार्यालय के भीतर/बाहर कोई भी लक्षण पाए जाने पर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र को एवं 104 पर सूचित किया जावें।

➢ लाइब्रेरी, जिम, रिटेल स्टोर, कॉमन हॉल आदि जैसे गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र को बंद रखें

➢ लिफ्ट, कॉरिडोर, सीढ़ी जैसे सामान्य क्षेत्र दिन में दो बार साफ किए जाने चाहिए

नगर निगम/पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में ग्रिड/जोन में containment निम्न आधार पर किया जाये

संक्रमण के मामले में निम्न क्षेत्रों का चिन्हाकन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए:–

आवासीय स्थान	सार्वजनिक एवं बाजार स्थान
▪ रहवासी कॉलोनी ▪ स्वतंत्र घर (Individual House) ▪ मलिन बस्तियां	▪ मार्केट/सब्जी मंडी ▪ स्टैंड अलोन शॉप ▪ मॉल/सुपर मार्केट्स (हालांकि वे बंद है) ▪ कार्यालय की जगह ▪ बस रूकने की जगह ▪ औद्योगिक क्षेत्र ▪ बैंक/एटीएम

उपरोक्त पहचान घनत्व और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र को containment करने में मदद करेगी